कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

–: कार्यालय आदेश:–

राज्य सरकार के पत्र क्रमांक–प.19(1)शिक्षा–2/2013 पार्ट जयपुर दिनांक 07.04.2021 के क्रम में श्रीमती अनु राणा, प्रवक्ता, शारीरिक शिक्षा राजकीय वरिष्ठ मा.वि.मॉडल टाउन हिसार की प्रतिनियुक्ति राबाउमावि. महारानी (211259) बीकानेर के पद (प्राध्यापक शारीरिक शिक्षा) पर वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक–प.1(3)वित्त/नियम/2005 पार्ट 1 दिनांक 17.05.2011 के तहत इस कार्यालय के आदेश क्रमांक :शिविरा/माध्य/संस्था/सी–5/अनु राना /2020/21 दिनांक 07.04.2021 द्वारा एक वर्ष के लिये की गयी थी।

राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.19(1)शिक्षा–2/2013 पार्ट जयपुर दिनांक 24.01.2022 द्वारा इनकी प्रतिनियुक्ति अभिवृद्वि दिनांक 07.04.2022 से आगामी एक वर्ष के लिए की जाती है।

- प्रतिनियुक्ति के दौरान कार्मिक को पैतृक संस्थान में प्राप्त वेतन एवं भत्ते अथवा राज्य सरकार में जिस पद कि विरूद्व प्रतिनियुक्ति की गई है उस पद के वेतन एवं भत्ते (जो भी कम हो) देय होंगे। कार्मिक को वे अतिरिक्त भत्ते/सुविधाऐं देय नहीं होगी जो उसे पैतृक संस्थान में प्राप्त थी, परन्तु राज्य सरकार में उसके समकक्ष कर्मचारी को देय नहीं होगी।
- यदि कार्मिक की नियुक्ति नवीन पेंशन योजना (एन.पी.एस.) के अन्तर्गत है तो प्रतिनियुक्ति के दौरान ऐसे कर्मचारियों के वेतन से पैतृक संस्थान के नियमों के अनुसार नई पेंशन अंशदान योजना की वसूली योग्य राशि वेतन से काटी जायेगी तथा कार्मिक व नियोक्ता का अंशदान प्रत्येक माह नियमित रूप से पैतृक संस्थान का भिजवाया जायेगा।
- प्रतिनियुक्ति कार्मिक को अवकाश का लाभ पैतृक संस्थान के सेवा नियमों के अनुसार ही देय होगें।
- प्रतिनियुक्ति कार्मिक को प्रतिनियुक्ति भत्ता देय नहीं होगा।
- कार्मिक को प्रतिनियुक्ति के दौरान पैतृक संस्थान से बोनस/एक्सग्रेशिया का भुगतान देय होता है, तो यह भुगतान पैतृक संस्थान द्वारा नहीं किया जायेगा। ऐसे कर्मचारियों को राज्य सरकार के समकक्ष कर्मचारियों को राज्य सरकार द्वारा बोनस/एक्सग्रेसिया देय किये जाने पर पैतृक संस्थान अथवा राज्य सरकार द्वारा घोषित दर (जो भी कम हो) से बोनस/एक्सग्रेसिया का राज्य सरकार द्वारा भुगतान किया जायेगा।
- चिकित्सा सुविधा एवं यात्रा भत्ता राज्य सरकार के कार्मिको के अनुरूप ही देय होगें।

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

(काना राम)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक– शिविरा/मा/संस्था/सी–5/अनु राना/2020/32 दिनांक: 09/02/2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निदेशक, सैकेण्डरी शिक्षा, हरियाणा, पंचकूला।
2. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग , जयपुर को उनके पत्र दिनांक 24.01.2022 के क्रम में।
3. संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
4. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा/जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
5. जिला शिक्षा अधिकारी हिसार, हरियाणा।
6. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को वैबसाईट पर अपलोड हेतु।
7. प्रधानाचार्य राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, मॉडल टाउन हिसार, हरियाणा।
8. प्रधानाचार्य राजकीय बालिका महारानी, बीकानेर।
9. श्रीमती अनु राणा, प्रवक्ता, शारीरिक शिक्षा राजकीय वरिष्ठ मा.वि. मॉडल टाउन हिसार, हरियाणा।
10. रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर